

**THE UTTAR PRADESH RURAL WEAKER SECTIONS (MORATORIUM ON
RECOVERY OF DEBTS) ACT, 1975**

[U.P. Act No. 51 of 1975]

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

AN

ACT

to provide for a moratorium on recovery of debts from landless agricultural labourers, small and marginal farmers, and rural artisans, with a view to facilitating further action for liquidation of indebtedness of such weaker sections of the people.

It is hereby enacted in the Twenty-sixth year of the Republic of India as follows:--

- | | | |
|---|----|---|
| Short title
extent and
commencement | 1- | <p>(1) This Act may be called the Uttar Pradesh Rural Weaker Sections Moratorium on Recovery of Debts) Act, 1975.</p> <p>(2) It extends to the whole of Uttar Pradesh.</p> <p>(3) It shall come into force at once.</p> |
| definitions | 2- | <p>In this Act, unless the context otherwise requires---</p> <p>(i) ‘artisan’ means a person who does not hold any agricultural land and whose main source of livelihood is manufacture or repair of traditional tools, implements and other articles or things used for agriculture or purposes ancillary thereto, and includes a person who normally earns his livelihood by practicing a craft either by his own labour or by the labour of any member of his family in any rural area;</p> <p>(ii) ‘Civil Court’ includes---</p> <p>(a) any court exercising jurisdiction under the Provincial Insolvency Act, 1920;</p> <p>(b) a Nyaya Panchayat established under the U.P. Panchayat Raj Act, 1947;</p> <p>(c) a court exercising powers under the Provincial Small Causes Courts Act, 1887;</p> <p>(iii) ‘Co-operative society’ means a society registered or deemed to be registered under the provisions of the Uttar Pradesh Co-operative Societies Act, 1965;</p> <p>(iv) ‘debt’ means an advance in cash or kind, whether decreed or not, and includes any transaction which is in substance a debt;</p> <p>(v) ‘landless agricultural labourer’ means a person who does not hold any agricultural land and whose main source of livelihood is manual labour on agricultural land;</p> <p>(vi) ‘marginal farmer’ means a person whose main source of livelihood is cultivation and who holds land measuring not more than one hectare in Uttar Pradesh;</p> <p>(vii) ‘protected debtor’ means a person, ordinarily residing in a rural area of Uttar Pradesh, who is a landless agricultural labourer, an artisan or a small or marginal farmer;</p> <p>(viii) ‘rural area’ has the same meaning as is assigned to it in the Uttar Pradesh Kshettra Samitis and Zial Parishad Adhiniyam, 1961;</p> <p>(ix) ‘small farmer’ means a person whose main source of livelihood is cultivation and who holds land measuring more than one hectare but not more than two hectares in Uttar Pradesh and in the districts of Bundelkhand, the measurement of such area shall be 1.5 hectares to 3 hectares.</p> |

- Moratorium debts 3- Notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force, or in any contract or decree or other instrument having force by virtue of any such law---
- (a) No suit, appeal, application or execution or other proceedings for or relating to the recovery of any debt against a protected debtor shall be instituted presented, or commenced for a period of one year from the date of commencement of this Act;
- (b) any such suit, appeal, application or execution or other proceeding, pending on the date of such commencement, shall be and remain stayed during the said period of one year;
- (c) any protected debtor arrested or detained in execution of any decree for any debt shall be released and any property of a protected debtor attached in such execution shall cease forthwith on the commencement of this Act :
- Provided that the State Government may, from time to time by notification in the *Gazette*, extend the said period of one year by such further period, not exceeding six months at a time as it deems fit, so, however, that such further periods shall not exceed two years in the aggregate.
- Exclusion from period of limitation 4- In computing the period of limitation for any suit, appeal, application or proceeding specified in section 3, instituted, presented, or commenced after the commencement of this Act, which might otherwise have been instituted, presented or commenced during the periods referred to in that section, such periods shall be excluded.
- Savings 5- Nothing in this Act shall affect any debt or other liability of any protected debtor falling under the following heads, namely---
- (a) any rent due in respect of any property let out to such debtor;
- (b) any transaction evidenced by a registered document or a transaction of mortgage by deposit of title deeds;
- (c) any liability arising out of breach of trust or any tortious liability;
- (d) any liability in respect of wages or remuneration due as salary or otherwise for services rendered;
- (e) any liability in respect of maintenance, whether under a decree of court or otherwise;
- (f) a debt due to---
- (i) the Central Government or any State Government;
- (ii) any local authority;
- (iii) any banking company as defined in the Uttar Pradesh Public Moneys (Recovery of Dues) Act, 1972;
- (iv) any corporation as defined in the Uttar Pradesh Public Moneys (Recovery of Dues) Act, 1972;
- (v) any co-operative society;
- (vi) any Government company within the meaning of the Companies Act, 1956;
- (vii) the life Insurance Corporation of India;
- (g) any debt which represents the price of goods purchased by such debtor;
- (h) any compensation payable on account of partition or division of property, or any compensation referred to in section 29-A of the Uttar Pradesh Consolidation of Holdings Act, 1953;
- (i) any sum recoverable as arrears of land revenue.

उत्तर प्रदेश ग्रामीण निर्बल वर्ग (ऋण की वसूली का अधिस्थगन) अधिनियम, 1975

{उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 51, 1975}

THE UTTAR PRADESH RURAL WEAKER SECTIONS (MORATORIUM ON RECOVERY OF DEBTS) ACT, 1975

[U.P. Act No. 51 of 1975]

उत्तर प्रदेश ग्रामीण निर्बल वर्ग (ऋण की वसूली का अधिस्थगन) अधिनियम, 1975

{उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 51, 1975}

{जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ}

भूमिहीन कृषि-श्रमिक, लघु और सीमान्त कृषकों और ग्रामीण शिल्पियों से ऋण की वसूली के अधिस्थगन का उपबन्ध जनता के ऐसे निर्बल वर्गों की ऋणग्रस्तता के समापन के लिए अग्रतर कार्यवाही को सुविधाजनक बनाने की दृष्टि से करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के छब्बीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

1- (1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश ग्रामीण निर्बल वर्ग (ऋण की वसूली का अधिस्थगन) अधिनियम, 1975 कहा जायगा।

संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारम्भ

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा।

(3) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

2— इस अधिनियम में, जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो—

परिभाषाएं

(1) "शिल्पी" का तात्पर्य उस व्यक्ति से है, जिसके पास कोई कृषि भूमि नहीं है और जिसकी जीविका का मुख्य साधन परम्परागत औजार उपकरण और अन्य वस्तुओं या सामान का निर्माण या मरम्मत करना है, जो कृषि या उससे संबंधित प्रयोजनों के लिये उपयोग में लाये जाएं, और शिल्पी के अन्तर्गत वह व्यक्ति भी है जो सामान्यतया अपनी जीविका कोई शिल्प या तो स्वयं अपने श्रम से या अपने परिवार के किसी सदस्य के श्रम से करके किसी ग्रामीण क्षेत्र में चलाता है;

(2) "सिविल न्यायालय" के अन्तर्गत—

(क) प्रान्तीय दिवाला अधिनियम, 1920 के अधीन अधिकारिता का प्रयोग करने वाला कोई न्यायालय,

(ख) यू0पी0 पंचायतराज ऐक्ट, 1947 के अधीन स्थापित कोई न्याय पंचायत,

(ग) प्रान्तीय लघुवाद न्यायालय अधिनियम, 1887 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करने वाला कोई न्यायालय,

भी है ;

(3) "सहकारी समिति" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1965 के उपबन्धों के अधीन रजिस्ट्रीकृत की गई या रजिस्ट्रीकृत समझी गई किसी समिति से है;

(4) "ऋण" का तात्पर्य नकद अथवा वस्तु के रूप में किसी अधिदाय से है, चाहे उसके लिए डिक्री हुई हो अथवा नहीं, और इसके अन्तर्गत कोई ऐसा संव्यवहार भी हो जो सार रूप में ऋण हो;

(5) "भूमिहीन कृषि श्रमिक" का तात्पर्य उस व्यक्ति से है, जिसके पास कोई कृषि भूमि नहीं है और जिसकी जीविका का मुख्य साधन कृषि भूमि पर शारीरिक श्रम है;

(6) "सीमान्त कृषक" का तात्पर्य उस व्यक्ति से है, जिसकी जीविका का मुख्य साधन कृषि है और जिसके पास उत्तर प्रदेश में एक हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल की भूमि नहीं है,

(7) "संरक्षित ऋणी" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र में साधारणतया निवास करने वाले ऐसे व्यक्ति से है, जो भूमिहीन कृषि श्रमिक, शिल्पी या लघु या सीमान्त कृषक है,

(8) "ग्रामीण क्षेत्र" का वही अर्थ होगा, जो उसे उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम, 1961 में दिया गया है ;

(9) "लघु कृषक" का तात्पर्य उस व्यक्ति से है, जिसकी जीविका का मुख्य साधन कृषि है और जिसके पास उत्तर प्रदेश में भूमि एक हेक्टेयर से अधिक है किन्तु दो हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल की नहीं है, किन्तु बुन्देलखण्ड के जिलों में ऐसी सीमा का क्षेत्रफल डेढ़ हेक्टेयर से तीन हेक्टेयर तक होगा।

{उत्तर प्रदेश ग्रामीण निर्बल वर्ग (ऋण की वसूली का अधिस्थगन) अधिनियम, 1975}

{धारा 3-5}

3— तत्समय प्रवृत्ति किसी अन्य विधि में अथवा ऐसी सविदा या डिक्री या अन्य लिखित में जो ऐसी किसी विधि के आधार पर प्रभावी हो, किसी बात के होते हुए भी —

ऋण का स्थगन

(क) किसी संरक्षित ऋणी के विरुद्ध किसी ऋण की वसूली के किये या उससे संबंधित कोई वाद, अपील, आवेदन या निष्पादन या अन्य कार्यवाही इस अधिनियम के प्रारम्भ के दिनांक से एक वर्ष की अवधि में संस्थित, प्रस्तुत या प्रारम्भ नहीं की जायेगी ;

(ख) ऐसा कोई वाद, अपील, आवेदन या निष्पादन या अन्य कार्यवाही, जो ऐसे प्रारम्भ के दिनांक पर विचाराधीन हो, एक वर्ष की उक्त अवधि में स्थगित की जायेगी और रहेगी;

(ग) किसी ऋण के लिए किसी डिक्री के निष्पादन में गिरपतार या निरुद्ध संरक्षित ऋणी मुक्त कर दिया जायगा और ऐसे निष्पादन में की गई किसी संरक्षित ऋणी की किसी सम्पत्ति की कुर्की इस अधिनियम के प्रारम्भ पर तुरन्त समाप्ति हो जायेगी :

परन्तु राज्य सरकार समय-समय पर गजट में अधिसूचना द्वारा एक वर्ष की उक्त अवधि की ऐसी अग्रतर अवधि के लिए, जैसी वह उचित समझे, बढ़ा सकती है, जो एक बार छः मास से अधिक न होगी, किन्तु इस प्रकार की वह अग्रतर अवधि कुल मिलाकर दो वर्ष से अधिक नहीं होगी।

4— धारा 3 में विनिर्दिष्ट किसी वाद, अपील, आवेदन या कार्यवाही के लिए, जो इस अधिनियम के प्रारम्भ के पश्चात् संस्थित, प्रस्तुत या प्रारम्भ की जाय और जो उक्त धारा में निर्दिष्ट अवधि के भीतर अन्यथा संस्थित, प्रस्तुत या प्रारम्भ की गई होती, परिसीमा अवधि की गणना में उक्त अवधि का अपवर्जन किया जायेगा।

परिसीमा अवधि का अपवर्जन

5— इस अधिनियम की किसी बात का प्रभाव निम्नलिखित शीर्षकों के अन्तर्गत आने वाले किसी संरक्षित ऋणी के किसी ऋण या अन्य दायित्वों पर नहीं पहुंचेगा; अर्थात् :-

अपवाद

(क) ऐसे ऋणी को किराये पर दी गई किसी सम्पत्ति के संबंध में देय कोई किराया ;

(ख) रजिस्ट्रीकृत दस्तावेज द्वारा साक्षित कोई संव्यवहार या हक विलेखों के निक्षेप द्वारा बन्धक का कोई संव्यवहार,

(ग) न्यास-भंग से उद्भूत कोई दायित्व अथवा कोई अपकृत्य संबंधी दायित्व;

(घ) की गई सेवाओं के लिये वेतन के रूप में या अन्यथा देय मजदूरी अथवा पारिश्रमिक के संबंध में कोई दायित्व ;

(ङ) भरण-पोषण के संबंध में कोई दायित्व, चाहे वह न्यायालय की डिक्री के अधीन हो अथवा अन्यथा ;

(च) निम्नलिखित को देय कोई ऋण—

(1) केन्द्रीय सरकार अथवा कोई राज्य सरकार ;

(2) कोई स्थानीय प्राधिकारी ;

(3) उत्तर प्रदेश लोक-धन (देयों की वसूली) अधिनियम, 1972 में यथा परिभाषित कोई बैंकिंग कम्पनी ;

(4) उत्तर प्रदेश लोक-धन (देयों की वसूली) अधिनियम, 1972 में यथापरिभाषित कोई निगम ;

(5) कोई सहकारी समिति ;

(6) कम्पनी अधिनियम, 1956 के अर्थान्तर्गत कोई सरकारी कम्पनी ;

(7) भारतीय जीवन बीमा निगम ;

(छ) कोई ऋण जो ऐसे ऋणी द्वारा क्रय किये गए माल की कीमत के बारे में हो ;

(ज) सम्पत्ति के विभाजन या बंटवारे के कारण देय कोई प्रतिकर, अथवा उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 की धारा 29-क में निर्दिष्ट कोई प्रतिकर ;

(झ) भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूल की जाने वाली कोई धनराशि।